न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–02, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **नारायण प्रसाद,** R.J.S.
{U.I.D. No.RJ00778}
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

विविध दीवानी प्रकरण संख्याः– 09/2026
C. I. S. No.:– 12/2026

01. प्रीतपालसिंह पुत्र बलकरनसिंह, निवासी चक–28 ए, तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

––प्रार्थी

बनाम

01. दुर्गाबाई पुत्री दलीपसिंह पत्नी सरजीतसिंह, निवासी हाल चक– 01 डीबीएल(ए) डबली राठान, तहसील व जिला–हनुमानगढ़(राज.)
02. वीरोबाई पत्नी दलीपसिंह, निवासी चक– 06 एमएसआर, तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
03. संदीपसिंह पुत्र गुरदाससिंह, निवासी चक– 06 एमएसआर, तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
04. उप–पंजीयक अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
05. जिला कलेक्टर–श्रीगंगानगर(राज.)

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी

उपस्थितिः–

01. श्री जगदीश गोयर, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी,
02. श्री अनिल गक्खड़, विद्वान अधिवक्ता– अप्रार्थी संख्या–01 ता. 03,
03. राजकीय अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या– 04 व 05,

– :: आ दे श :: – **दिनांक 29.05.2026**

01. प्रार्थी प्रीतपाल सिंह द्वारा अप्रार्थीगण दुर्गा बाई आदि के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 24.03.2026 को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01, अनूपगढ़(श्रीगंगानगर) के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जहाँ से दिनांक 01.04.2026 को अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

---

02. प्रार्थी प्रीतपाल सिंह द्वारा अप्रार्थीगण दुर्गा बाई आदि के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि कृषि भूमि वाके चक–35 एपीडी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं–12 पत्थर सं–339/419 का किला नं–2/2, 3/2, 8/1, 9/2, 12/2. 13/1, 18/2, 19/2 में कुल 1.215 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा अप्रार्थीगण सं. 01 वा 02 तथा इनके भाई/पुत्र दर्शनसिंह व नसीबसिंह के नाम से सयुंक्त खाता में दर्ज थी, जिसमें से 304/1215 हिस्सा यानि 0.304 हैक्टर रकबा अप्रार्थीया सं. 01 दुर्गाबाई व 101/405 हिस्सा यानि 0.303 हैक्टर रकबा अप्रार्थीया सं. 02 वीरोबाई के नाम से पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जो वर्तमान में अप्रार्थी सं. 03 संदीपसिंह के नाम से दर्ज है। अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 तथा इनके भाई/पुत्र दर्शनसिंह व नसीबसिंह को घरू जरूरत हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण दर्शनसिंह व नसीबसिंह ने अपनी बहिन/माता यानि अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 की सहमति से कृषि भूमि वाके चक–35 एपीडी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं–12 पत्थर सं–339/419 का किला नं–2/2, 3/2, 8/1, 9/2, 12/2, 13/1, 18/2, 19/2 में कुल 1.215 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा के विक्रय का प्रस्ताव प्रार्थी के समक्ष रखा। चूंकि प्रार्थी काश्तकारी पेशा व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी अपने व अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु कृषि भूमि खरीद करने के इच्छुक था। इस पर प्रार्थी ने दर्शनसिंह व नसीबसिंह के भूमि विक्रय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 तथा इनके भाई/पुत्र दर्शनसिंह व नसीबसिंह की आपसी सहमति से कृषि भूमि 1.215 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी रकबा का सौदा प्रार्थी के साथ बिलमुक्ता 33,00,000/– रूपये में तय पाया जाकर अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के भाई/पुत्र दर्शन सिंह व नसीब सिंह ने दिनांक 22.10.2021 को रूबरू गवाहान प्रार्थी से साई पेटे 5,00,000/– रूपये रूबरू गवाहान प्राप्त बकाया रही प्रतिफल राशि 28,00,000/– रूपये वरवक्त बैयनामा दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त करना तय करते हुए उक्त कृषि भूमि के सौदा के सम्बन्ध में तहसील परिसर अनूपगढ़ में एक

दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 रूबरू गवाहान प्रार्थी के पक्ष में तहरीर व तकमील कर असल इकरारनामा प्रार्थी के सुपुर्द किया, जिस पर अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 ने भी सौदा होने बाबत् अपनी–अपनी अंगूठा निशानी अंकित की। विक्रेतागण अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 तथा इनके भाई/पुत्र दर्शनसिंह व नसीबसिंह द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थी के पक्ष में इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 तहरीर करने के पश्चात् दर्शनसिंह व नसीबसिंह ने अपना अपना हिस्सा यानि 0.603 हैक्टेयर रकबा का बैयनामा आपसी सहमति से संयुक्त रूप से प्रार्थी के भाई अमृतपाल सिंह पुत्र बलकरण सिंह के पक्ष में दिनांक 27.10.2021 को तहरीर कर पंजीकृत करवा दिया तथा कब्जा भूमि मौका पर अमृतपाल सिंह के सुपुर्द कर दिया। जिस पर बैयनामा के रोज से अमृतपाल सिंह का कब्जा चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 ने भी अपने हिस्सा के रकबा का कब्जा प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया। प्रार्थी (संविदा) इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 में अपने जिम्मे की समस्त शर्तों की पालना करने के लिए हर समय तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा है, आज भी है तथा भविष्य में भी रहेगा।

03. प्रार्थी(संविदा) इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 की पालना मे दिनांक 13.06.2022 को अपने पक्ष में विवादित कृषि भूमि का बैयनामा करवाने हेतु अपने जिम्मे के कागजात व अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के हिस्सा का बकाया प्रतिफल लेकर अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 से सम्पर्क कर अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 को कहा कि आप इकरारनामा की पालना में बैयनामा पंजीयन करवाने हेतु उसके साथ उप पंजीयक कार्यालय अनूपगढ़ चलें और इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 की पालना में विवादित कृषि भूमि का बैयनामा उसके पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करावें। इस पर अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 कहने लगे कि बैयनामा पंजीबद्ध करवाने हेतु अभी तक उनसे समस्त दस्तावेजों की व्यवस्था नहीं हुई है, वे शीघ्र ही बैयनामा से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आपको सूचित कर बैयनामा आपके पक्ष में तहरीर कर पंजीबद्ध करवा देंगे तथा अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 प्रार्थी को आश्वास्त करते हुए कहने लगे कि आपको चिंता करने की आश्यकता नहीं है। प्रार्थी

अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 की बातों पर सद्भाविक रूप से विश्वास इंतजार करता रहा। दिनांक 26.08.2025 को प्रार्थी किसी कार्यवश तहसील परिसर अनूपगढ़ आया हुआ था तथा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी ने प्रार्थी को बताया कि अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के हिस्सा की विवादित कृषि भूमि वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 03 संदीपसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर प्रार्थी ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 ने विवादित कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 04.08.2025 को अप्रार्थी सं. 03 संदीप सिंह के पक्ष में करवा दिया है। अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 को यह बखूबी इल्म था कि विवादित कृषि भूमि उसने प्रार्थी को जरिए इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 को प्रतिफल की एवज में प्रार्थी को बेचान कर दी थी तथा अपने हिस्सानुसार प्रतिफल प्राप्त कर लिया है तथा उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 ने अप्रार्थी सं. 03 के साथ दुर्भिसन्धि करके व साजिशाना पूर्ण तरीके से व बेईमानी पूर्वक अप्रार्थी सं. 03 के पक्ष में विवादित भूमि का बैयनामा दिनांक 04.08.2025 को पंजीकृत करवा दिया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 03 को भी बखूबी इल्म था कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की जरिए इकरारनामा खरीद कर रखी है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में है लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं. 03 ने अप्रार्थी सं. 01 व 02 से दुर्भिसन्धि एंव साजिश रचकर बेईमानी व लालचवश प्रार्थी को सदोष हानि पहुंचाने की नीयत से विवादित कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 04.08.2025 अपने पक्ष में करवाया है। दिनांक 27.08.2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 01 ता. 03 के पास उनके निवास स्थान पर जाकर उनसे सम्पर्क कर कहा कि आपको यह पता था कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 से जरिए इकरारनामा खरीद की हुई है, प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं . 03 ने अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 से विवादित भूमि का बैयनामा अपने नाम करवाया है। विवादित जमीन का बैयनामा प्रार्थी के पक्ष में करवाने बाबत् सहयोग करने का कहा तो अप्रार्थीगण सं. 01 ता 03 ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया, जिस पर प्रार्थी ने

दिनांक 30.08.2025 को अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 अन्य के खिलाफ पुलिस थाना अनूपगढ़ में जरिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा –318(4), 310, 316(2), 61(2) बीएनएस के तहत दर्ज मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आखिरकार प्रार्थना पत्र पेश करने से 04–05 रोज पूर्व पुनः जब प्रार्थी ने पंचायत की तो अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 ने कहा कि अप्रार्थी सं. 03 आप से अधिक राशि दे रहा था इसलिए उन्होंने अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में बैयनामा करवा दिया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के मन में लालच आ गया। अप्रार्थी संख्या 03 ने स्पष्ट धमकी दी कि अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने विवादित भूमि का बैयनामा उसके पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवा दिया है तथा उसके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नामातंरण भी दर्ज हो चुका है, अब वह शीघ्र ही विवादित भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल कर देगा तथा विवादित भूमि को अन्यत्र रहन, बैय कर देगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

04. अंत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से तथा वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से अन्यत्र हस्तांतरित, रहन, बैय करने से बाज व ममनू रहे तथा रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

05. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं अप्रार्थी संख्या–03 की ओर से पृथक्–पृथक् जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त रूप से यह अभिकथन किये गये हैं कि कथित इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 फर्जी व कूटरचित है, जिसका स्टाम्प भी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने खरीद नहीं किया है। कथित स्टाम्प के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रार्थी ने नसीबसिंह से मिलीभगत करके नसीबसिंह की ओर से स्टाम्प

खरीद कर उस पर कूटरचना की है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि 0.607 हैक्टेयर स्वयं प्रार्थी प्रीतपाल द्वारा दिनांक 13.04.2024 से दिनांक 13.04.2025 तक एक वर्ष हेतु ठेका पर ली थी, जिसकी ठेका की राशि 42,500/– रूपये अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को अदा की गई थी, जिसका ठेकानामा दिनांक 27.05.2024 को लिखा गया, जिस पर स्वयं प्रार्थी प्रीतपाल के हस्ताक्षर है। उपर्युक्त ठेकानामा दिनांक 27.05.2024 को रविकुमार चुग एडवोकेट एवं नोटरी से तस्दीक हुआ है, असल ठेकानामा प्रार्थी के कब्जा में है। उपर्युक्त ठेकानामा दिनांक 27.05.2024 का अस्तित्व प्रमाणित है। एक तरफ तो प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से उपर्युक्त जमीन ठेका पर ले रहा है, दूसरी ओर दिनांक 22.10.2021 का तथाकथित इकरारनामा प्रकट कर रहा है, इन परिस्थितियों में प्रार्थी की कहानी स्वयमेव ही झूठी है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने इस कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी के सुपुर्द नहीं किया, ना ही कब्जा सुपुर्द करने का कथित इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 में कहीं हवाला है। दर्शनसिंह व नसीबसिंह द्वारा अपने 0.607 हैक्टेयर भूमि का बैयनामा प्रार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध करवा दिया हो तो इससे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का वास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का हित उपर्युक्त कृषि भूमि में से 0.607 हैक्टेयर भूमि को लेकर है। कथित इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 के निष्पादन से स्पष्टतया इन्कारी है, फिर भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को देखा जावे तो इकरारनामा की दिनांक 22.10.2021 बताई गई है, जिसमें स्वयं प्रार्थी के अभिवचन है कि बकाया प्रतिफल राशि 13.06.2022 को अदा करनी थी जो नहीं की गई। दिनांक 13.06.2022 से 13.06.2025 तक तीन वर्ष पुरे हो गये। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का हिस्सा भी बकौल प्रार्थी माने तो बकाया प्रतिफल राशि 28,00,000/–रूपये में से 1/2 हिस्सा यानि 14,00,000/– रूपये था जो दिनांक 13.06.2022 को अदा नहीं किए। संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना के वाद में जहाँ बैयनामा हेतु तिथि मुकर्र हो वहाँ संविदा की पालना हेतु मियाद की अवधि तीन वर्ष है। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 13.06.2025 को वह तीन वर्ष भी पुरे हो गये, ऐसी स्थिति में प्रार्थी कथित संविदा की पालना हेतु तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा हो ऐसे

अभिवचन प्रार्थी ने साबित नहीं किए हैं। तथाकथित इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 का है। उसी रोज इस कृषि भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध हो सकता था लेकिन प्रार्थी ने कथित इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 में मुकर्र तिथि दिनांक 13.06.2022 तक भी बकाया प्रतिफल अदा कर कथित इकरारनामा की पालना करने का कोई प्रयास नहीं किया।

06. कृषि भूमि की ठेका अवधि दिनांक 12.04.2025 को समाप्त हो गई, तत्पश्चात् प्रार्थी से भूमि खाली करवा ली। प्रार्थी का दिनांक 12.04.2025 के उपरांत इस कृषि भूमि पर कोई हित निहित नहीं रहा तथा दिनांक 04.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपनी उपर्युक्त हिस्सा की भूमि को अप्रार्थी संख्या 03 को जरिए बैयनामा हस्तांतरित कर दी है। मौका पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हिस्सा की भूमि का अप्रार्थी संख्या 03 के पास है जिसका प्रारम्भ से ही प्रार्थी को इल्म है। प्रार्थना पत्र दायर करने से पूर्व ही प्रार्थी को इस तथ्य का ज्ञान था कि मौका पर संदीपसिंह काबिज है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी के सुपुर्द नहीं किया गया, ना ही कब्जा सुपुर्द करने का अंकन तथाकथित इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 में दर्ज है, ना ही कब्जा के आभाव में प्रार्थी को बेदखल करने की कोई धमकी दी, प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन किसी भी प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है, इस बिनाय पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

07. अप्रार्थी संख्या 04 व 05 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करना नहीं चाहने पर, जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया गया।

---

08. बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किए जाने का निवेदन किया।

09. इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं.01 ता. 03 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

10. दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 04 व 05 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पर विधि अनुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। विविध दीवानी प्रकरण की पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को मुख्यतः निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना होता हैः–

(1) प्रथम दृष्टया मामला
(2) सुविधा का संतुलन
(3) अपूर्णीय क्षति

12. उक्त तीनों बिन्दुओं के निस्तारण के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

प्रथम दृष्टया मामलाः–

13. उक्त बिन्दु के समर्थन में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के भाई/पुत्र दर्शन सिंह व नसीब सिंह ने दिनांक 22.10.2021 को गवाहान के समक्ष प्रार्थी से साई पेटे 5,00,000/– रूपये प्राप्त कर शेष 28,00,000/– रूपये बैयनामा दिनांक 13.06.2022 को प्राप्त करना तय करते हुए भूमि के सौदा के सम्बन्ध में इकरारनामा निष्पादित कर प्रार्थी को सुपुर्द किया गया था। प्रार्थी संविदा के अपने

भाग की पालना करने के लिए सदैव तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा है। मौके पर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति पर इकरारनामा निष्पादन की दिनांक से ही प्रार्थी का कब्जा है। बैयनामा पंजीयन करवाने हेतु अप्रार्थीगण से कहने पर अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि बैयनामा पंजीकृत करवाने हेतु अभी समस्त दस्तावेजात की उनके पास व्यवस्था नहीं हुई है तथा शीघ्र ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रार्थी को सूचित कर दिया जायेगा। दिनांक 26.08.2025 को प्रार्थी किसी कार्यवश तहसील परिसर अनूपगढ़ आया व पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी ने प्रार्थी को बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या–03 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर जमाबंदी की नकल लेने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त सम्पत्ति का बैयनामा दिनांक 04.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में करवा दिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा दुर्भिसंधि कर प्रार्थी को उसकी सम्पत्ति से वंचित करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी की कब्जा काश्त में है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से कृषि भूमि अपने नाम से पंजीकृत करवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर उनके द्वारा इन्कार कर दिया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाने का कथन करते हुए उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किये जाने का निवेदन किया गया।

14. इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि कथित इकरारनामा दिनांक 22.10.2021 फर्जी व कूटरचित है, जो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा निष्पादित नहीं है। स्टाम्प के अवलोकन से प्रार्थी ने नसीबसिंह से मिलीभक्त कर नसीब सिंह की ओर से स्टाम्प खरीद कर उस पर कूटरचना की गई है, स्टाम्प अप्रार्थीगण द्वारा क्रय नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.04.2024 से 13.04.2025 तक एक वर्ष हेतु ठेका पर ली गई थी जो ठेकानामा अधिवक्ता व नोटेरी से तस्दीक है। यदि प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति अप्रार्थीगण से क्रय करने के सम्बन्ध में इकरारनामा किया जाता तो प्रार्थी

उक्त भूमि के सम्बन्ध में ठेकानामा निष्पादित नहीं करवाता। सम्पत्ति का कब्जा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 03 का है। प्रार्थी दिनांक 13.06.2022 को बैयनामा निष्पादन की दिनांक नियत होने का कथन करता है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इकरारनामा निष्पादन की दिनांक से 03 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिसीमा द्वारा बाधित है तथा इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी कभी भी शर्तो की पालना हेतु तैयार, तत्पर व इच्छुक नहीं रहा है। ठेकानामा समाप्त होने के पश्चात् भूमि का कब्जा पुनः अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उपर्युक्त आधारों पर प्रार्थी का किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने का कथन किया गया।

15. उभय पक्षों के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी इकरारनामा दिनांकित 22.10.2021 को निष्पादित किये जाने व दिनांक 13.06.2022 को बैयनामा पंजीकरण हेतु दिनांक नियत होने का कथन करता है। इस प्रकार उक्त इकरारनामा में ही उसके निष्पादन की दिनांक नियत की गई है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2026 को प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र बैयनामा पंजीकरण करवाने हेतु नियत दिनांक से 03 वर्ष के पश्चात् पेश किया गया है। यद्यपि प्रार्थी कथन करता है कि उक्त दिनांक को अप्रार्थीगण ने अपने पास समस्त दस्तावेजात की व्यवस्था नहीं होने का कथन किया है लेकिन उक्त दिनांक को अप्रार्थीगण के पास समस्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं होने पर आगामी वर्षों में प्रार्थी द्वारा बैयनामा पंजीकरण करवाने हेतु क्या प्रयास किये गये, इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। इससे प्रार्थी का इकरारनामा निष्पादन हेतु तैयार, तत्पर व इच्छुक होना प्रकट नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा इकरारनामा फर्जी व कूटरचित होने का कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि इकरारनामा का स्टाम्प उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया है, जो उक्त इकरारनामा के स्टाम्प के अवलोकन से साबित है। वर्तमान में सम्पत्ति राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 03 संदीप सिंह के नाम से दर्ज होना विवादित नहीं है तथा यह भी सुस्थापित

विधि है कि सम्पत्ति के स्वामी के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अप्रार्थीगण द्वारा अपने व प्रार्थी के मध्य दिनांक 13.04.2024 से 13.04.2025 तक प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में ठेकानामा निष्पादित होने का भी कथन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही बहस के दौरान उक्त तथ्य का खण्डन किया गया है। यदि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति अप्रार्थीगण से क्रय की जाती तो उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा ठेकानामा निष्पादित नहीं किया जाता। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या–03 के पक्ष में बैयनामा निष्पादित होने की जानकारी दिनांक 26.08.2025 को हो जाने का कथन करता है लेकिन उसके भी करीब 07 माह पश्चात् प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त देरी का भी कोई कारण प्रार्थी द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषणानुसार प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षतिः–

16. चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया गया है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है और मूल वाद डिक्री हो जाता है तो उस परिस्थिति में प्रार्थी को होने वाली असुविधा एवं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है और मूल वाद खारिज हो जाता है तो उस परिस्थिति में अप्रार्थीगण को होने वाली सुविधा का परिणात्मक विवेचन किया जाये तो यह न्यायालय पाता है कि चूंकि इस प्रकरण में विवादित भूमि पर कब्जा दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थीगण के पास है और राजस्व अभिलेख में भी विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या–03 संदीप सिंह के नाम पर ही दर्ज है, इस प्रकार यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है और मूल वाद डिक्री हो जाता है तो प्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। इसके विपरीत यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है और मूल वाद डिक्री नहीं होता है तो

दावाकृत अवधि के दौरान अप्रार्थी संख्या–03 संदीप सिंह विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपने सारभूत अधिकारों से मरहूम रहेगा, जिससे उसे अत्यधिक असुविधा होगी, जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं।

17. उक्तानुसार चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आदेश निम्नवत् है:–

– :: आ दे श :: –

18. **निष्कर्षतः** प्रार्थी प्रीतपाल सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थीगण दुर्गा बाई आदि **अस्वीकार** किया जाकर **खारिज़** किया जाता है। खर्चा प्रार्थना पत्र मूल वाद के विनिश्चिय पर निर्भर रहेगा।

{ नारायण प्रसाद }
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–02
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

19. आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Steno Gr.II
"Authenticate Document"

PRAVEEN KUMAR
Digitally signed by PRAVEEN KUMAR
Date: 2026.05.29 13:07:09 +0530

{ नारायण प्रसाद }
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–02
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर